से पहले अनधिकार कब्जा करने के लिये सरकार को रकम वसूल करनी थी उनसे २२,५५२ रुपये का हरजाना वसूल किया गया और २,४६,११६–५–० रुपये नहीं वसूल हुए ।

(ख) कुछ मामलों में निकाले गये व्यक्ति जिनसे हरजाने की रकम वसूल करना बाकी था, लापता हो गये । कुछ अन्य मामलों में दीवानी अदालतों ने सरकार को रकम वसूल से रोकने के आदेश जारी किये ।

(ग) केवल रकम वसूल करने पर कोई कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं । सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से वसूली उनके प्रशासनीय विभाग द्वारा की जाती है । अन्य मामलों में अभी हाल तक पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन) ऐक्ट [Public Premises (Eviction) Act] के अन्तर्गत सार्टीफिकेट प्रोसीडिंग्स (Certificate Proceedings) की सहायता ली जाया करती थी ।

बागान श्रमिक आवास योजना

१६६२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन किन राज्यों ने बागान श्रमिक आवास योजना चालू कर दी है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य-सरकारों को कितना ऋण दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) केरल, मद्रास, आसाम, मसूर और त्रिपुरा का केन्द्रीय प्रदेश ।

(ख) २.३३५ लाख रुपये ।

विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों को किराये पर उठाना

१६६३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य स्थानों में विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों तथा दुकानों को किराये पर उठाने के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नासकर) : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है वहां शरणार्थियों को किराये पर दिये गये मकान/टेनीमेंट या दुकानों के किरायेनामों में इस बात का जिक्र है कि एलाटी उन्हें किराये पर किसी और को नहीं देंगे । दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

गैर-सरकारी इमारतों का अधिग्रहण

१६६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में सरकार द्वारा अधिगृहीत कितनी गैर-सरकारी इमारतें इस समय सरकार के अधिकार में हैं ;

(ख) इन इमारतों को कब तक वापस कर देने का विचार है ;

(ग) १९५६–५७ में कितनी इमारतें वापस की गई ;

(घ) इन अधिगृहीत इमारतों का कितना किराया और किस हिसाब से दिया जाता है ; और

(ङ) वह किराया किस आधार पर दिया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) २४६ (हिमाचल प्रदेश को छोड़कर । वहां से अभी सूचना नहीं आई है) ।

(ख) दिल्ली में ही सरकार के पास कार्यालयों के लिये ५.४४ लाख वर्गफुट स्थान और रहने के लिये ४१.४५० मकानों की कमी है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि ये इमारतें कब तक मुक्त कर दी जायेंगी । जहां सरकार को इतमीनान हो जाता है कि मालिक मकान को अपने निजी इस्तेमाल के लिये इमारत की जरूरत है और इसे अधिगृहीत रखने से मालिक मकान को कष्ट होगा, वहां सरकार इमारतों को मुक्त करती रही है । सरकार का इरादा अब यह है कि जिन लोगों की जायदाद बहुत अधिक समय से अधिगृहीत है उनको मुक्त करने की प्रार्थनाओं पर प्राथमिकता पूर्वक विचार किया जाये ।

(ग) ६० जिनमें कुछ इमारतों के हिस्से भी शामिल हैं ।

(घ) और (ङ). ४,६४,८०२ रुपये वार्षिक । मुआवजा की रकम निर्माण की लागत, मकान की स्थिति और उपलब्ध सुविधायें आदि को ध्यान में रखते हुये तय की जाती हैं ।

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्ति

१६६५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाजपत नगर में विस्थापितों के लिये जो ४४८ मकान बनाये गये हैं उनमें से उन्हें कितने दिये गये हैं ;

(ख) क्या कोई मकान अब भी दिये जाने हैं ;

(ग) इन मकानों पर कितना व्यय हुआ और इन से कितनी आय हुई है ; और

(घ) इन मकानों को बनाने में कितना समय लगा और मकान बनाने के बाद से वे कितने दिनों तक खाली रहे ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). ४४८ ए टाइप के सब टेनीमेंट नीलामी द्वारा बेचे गये ।

(ग) १७,४१,११६ रुपये केवल मकानों के बनाने पर खर्च हुए । इन में डेवेलपमेंट और जमीन की लागत शामिल नहीं है । नीलामी द्वारा कुल ४१,५६,४५० रुपये की रकम वसूल हुई ।

(घ) लगभग १ साल और १० महीने । ये टेनीमेंट दिसम्बर, १९५५ में बन गये थे और फरवरी १९५६ में नीलाम हुए ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण

१६६६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५६ से, जब से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को घर बनाने के लिये ऋण देने की योजना पुनः चालू हुई है, इस से कितने कर्मचारियों ने लाभ उठाया है और उन्होंने ऋण के रूप में अब तक कितनी राशि ली है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : १९ मार्च १९५८ तक सरकार ने १३४ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के वास्ते कुल मिलाकर १७.०० लाख रुपये का ऋण देने की स्वीकृति दी है ।